अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Indentification Number (CIN) -U-40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर, पॉवर हाउस, माकड़वाली रोड अजमेर 305004

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravvanl@gmail.com

क्र. अविविनिलि/अधी अभि.(यो.)/अधि.अभि (यो.) /सहा.अभि.(आर.ई.)/अज./फा.–.कृ.प./2016–17 /प्र. 4953 दि 07.09.2016

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के सम्बन्ध मे।

माननीय उर्जा राज्य मंत्री के दिशा निर्देश पर दिनांक 19.08.2016 को आयोजित 71वीं डिस्कॉम कोआर्डिनेशन फोरम की बैठक में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है । इसी क्रम में "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2016 से दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक लागू किया जाता है ।

1 ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/ परिसर /मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

2 इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाये तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि (रू.15/–प्रति एच.पी.प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जावेगा ।

3 जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते है, किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हार्स पॉवर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होगें ।

4 यदि मद (2 व 3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है, तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया तो, ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर निम्नानुसार राशि वसूल की जावेगी :–

(क) मीटर श्रेणी के उपभोक्ता –

रू0 120/– प्रति एच.पी. पैनेल्टी राशि व रू0 1500/– प्रति एच.पी. नियमितीकरण शुल्क ।

(ख) फ्लैट रेट श्रेणी के उपभोक्ता

रू0 4920/– प्रति एच.पी. पैनेल्टी राशि व रू0 1500/– प्रति एच.पी. नियमितीकरण शुल्क ।

5 योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा ।

1 जुलाई 2016 से उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वी.सी.आर. भरी जा चुकी है, तो वह भी उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जावेगी । उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की समाप्ति (30 नवम्बर 2016) के पश्चात भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा ।

आज्ञा से

(ई. एन.एल. साल्वी)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2 सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर ।
4 प्रबंध निदेशक, जयपुर /जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
5 निदेशक (वित्त), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6 अति./मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/एम.एम. एवं प्रोजेक्ट/एम.एण्ड पी. एवं आई.टी.) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7 संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/झुंझुनू/उदयपुर।
8 मुख्य लेखाधिकारी (ईटीबी/ए. एण्ड आर./डब्ल्यू. एण्ड एम. एवं आई.ए.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डबल्यू./एम.एण्ड.पी/आईटी/वाणिज्य/रा.गा.ग्रा.वि.यो/सर्तकता), अविविनिलि अजमेर ।
12 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चितौडगढ प्रतापगढ/राजसमन्द/उदयपुर ।
13 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
14 प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
15 निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ।
16 प्रावेधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
17 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि, अजमेर
18 अधिशाषी अभियन्ता (......................) अविविनिलि,..............................
19 सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
20 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

2/9/16
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनि लि अजमेर

D : /AEN RE/ Hindi letter